जनभागीदारी समिति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुलताई
जिला- बैतूल (म.प्र.) पिन 460661
Email Address :- hegcmulbet@mp.gov.in Tele No. :- 07147-225162 Fax. No. :- 07147-224153

मुलताई, दिनांक – 22.10.2020

क्रमांक 408 /जभा/स्ववित्त/2020

विज्ञप्ति 2020–21

महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा स्ववित्तिय योजनान्तर्गत संचालित तथा जनभागीदारी मद से स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत सत्र 2020–21 के लिये निम्न लिखित विषय/पाठ्यक्रम में अध्यापन कार्य हेतु उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मापदण्डो के अनुसार अर्हता रखने वाले अभ्यार्थियों से अतिथि विद्वान हेतु आवेदन महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के सचिव की ओर से आमंत्रित किये जाते है।

क्र.	विषय/पाठ्यक्रम का नाम	पद	शैक्षणिक योग्यता
1	एम. ए. समाजशास्त्र	01	म0प्र0 शासन उ.शि.विभाग एवं यूजीसी मापदण्ड के अनुसार

शर्ते :–

1. अतिथि विद्वान का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगा जो यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदण्डो को ध्यान में रखते हुए तथा म.प्र.शासन उच्च शिक्षा मंत्रालय पत्र क्र. 969/एफ–1–9/2016/38–1 भोपाल दिनांक 08.08.2016 में वर्णित चयन मापदण्डो के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. सचिव जनभागीदारी समिति को आमंत्रण पत्र जारी करने का अधिकार होगा। विज्ञापन का आशय कदापि यह नही होगा की जितने पद विज्ञप्त किये जा रहे है उतने ही आवेदको को आमंत्रण पत्र जारी किये जाये।
3. आवेदन पत्र सचिव जनभागीदारी समिति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुलताई जिला बैतूल मध्यप्रदेश 460661 के नाम से प्रेषित किया जायेगा।
4. लिफाफे पर स्ववित्त/जनभागीदारी द्वारा संचालित विषय एवं पद का नाम स्पष्ट लिखे।
5. आवेदन पत्र सादे कागज पर आवश्यक विवरण दर्शाते हुए स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो, मोबाईल नम्बर सहित समस्त प्रमाणपत्रो की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ दिनांक 03.11.2020 तक कार्यालयीन समय में डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर दिये जा सकते है। अपूर्ण एवं समयावधि के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।
6. आमंत्रित अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नही माने जावेगे। वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोकसेवक नही माने जावेगे। आवश्यकता ना होने पर अथवा कार्य संतोषजनक नही पाये जाने पर अथवा अनुशासनहीनता सम्बधी शिकायत प्राप्त होने पर किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य से पृथक किये जाने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
7. अतिथि विद्वान का मानदेय जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।
8. दूरस्थ माध्यम से अर्जित डिग्री/उपाधि मान्य नही होगी।
9. पद संख्या में परिवर्तन, निरसन, विज्ञप्ति को निरस्त करने अथवा मानदेय राशि में परिवर्तन करने का अधिकार महाविद्यालय जनभागीदारी समिति को रहेगा।
10. किसी भी विवादास्पद स्थिति में जनभागीदारी समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
11. अनुभवी उम्मीदवारो को प्राथमिकता दी जावेगी।

सदस्य सचिव
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय मुलताई
जिला बैतूल (म.प्र.)

मुलताई, दिनांक – 22.10.2020

पृ. क्रमांक 408 /जभा/स्ववित्त/2020

प्रतिलिपिः– आई.टी.सेल उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर इस निवेदन के साथ कि उपर्युक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव
जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय मुलताई
जिला बैतूल (म.प्र.)